''मैगा इण्डस्ट्रीयल एवं इनवैस्टमैट पॉलिसी 2015''

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु ''मैगा इण्डस्ट्रीयल एवं इनवैस्टमैट पॉलिसी 2015'' के अन्तर्गत निम्न छूट एवं रियायतें प्रदान किया जाना प्रस्तावित हैः–

i इस नीति का नाम ''मैगा इण्डस्ट्रीयल एवं इनवैस्टमैट पॉलिसी 2015'' प्रस्तावित किया जाता है।

ii इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।

iii इस नीति के अन्तर्गत निम्न उद्योगों को मान्यता प्रदान की जाती हैः–

क एकल उद्योग

ख मिश्रित उद्योग (ऐसे उद्योग जिनमें मुख्य यूनिट उद्योग की श्रेणी में आती है परन्तु इन पर आश्रित इकाईयां उद्योग की श्रेणी में नहीं आती है यथा डेयरी एवं डेयरिंग उत्पाद, टेक्सटाईल एवं टेक्सटाईल उद्योग इत्यादिं)।

ग. हास्पिटल

iv उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अन्तर्गत सिडकुल की समय समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रू0 50.00 करोड़ से अधिक पूॅजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण वाली इकाईयॉ भी आच्छादित रहेंगी।

vi. पूॅजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है :–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– रू0 50.00 करोड़ से रू0 75.00 करोड़ तक पूॅजी निवेश

2. मैगा प्रोजेक्टस – रू0 75.00 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूॅजी निवेश

3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस – रू0 200.00 करोड़ से अधिक पूॅजी निवेश

vii. इस नीति के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो मे (31 मार्च 2020) उत्पादन मे आने वाली इकाईयॉ लाभान्वित होगी।

viii नीति के अन्तर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की जायेगी :–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15% की भूमि दर पर छूट।
2. मैगा प्रोजेक्टस – सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25% की भूमि दर पर छूट।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस – सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30% की भूमि दर पर छूट।

ix. इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत् आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. तीन वर्षो तक उत्पादन मे न आने वाले उद्योग से नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

xi. प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत छूटें एवं रियायतें निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1. **Validity Period of Scheme** : आगामी 05 वर्ष यथा 31 मार्च, 2020 तक उत्पादन मे आने वाली इकाईयॉ।
2. **State Capital Subsidy**: केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2017 तक MSME Sector मे 15 प्रतिशत् या अधिकतम रू0 50.00 लाख तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत् या अधिकतम रू0 30.00 लाख की छूट उद्यमियों के लिये भी प्रस्तावित है।
3. **Interest Subsidy**: इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत् आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो तक उद्यमियो को 7 प्रतिशत तक की Interest subsidy दी जानी प्रस्तावित।
4. **VAT Concession**: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो तक निम्नानुसार छूट दी जानी प्रस्तावित है :–
    1. लार्ज प्रोजेक्टस– वैट दर 30% उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।
    2. मैगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस – वैट दर 50% उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षो हेतु।

5. **Power Assistance /Power Bill Rebate**: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षो हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट के दर से छूट दी जानी प्रस्तावित।

   * इलैक्ट्रिक डयूटी मे 100% छूट 5 वर्षो के लिये प्रस्तावित।

6. **Rebate on Stamp Duty:** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 50 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जानी प्रस्तावित।
7. **Concession in Land Registration Fee :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि क्रय/लीजडीड निष्पादन के पजीकरण हेतु रू0 1/– प्रति रू0 1000/– का शुल्क प्रस्तावित।
8. **Subsidy on ETP :** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई0टी0पी0 हेतु 30% कैपिटल सबसिडी अधिकत्तम रू0 50.00 लाख तक दी जानी प्रस्तावित है।
9. **Rebate on Mandi Tax**: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाईल उद्यम पर Mandi Tax पर 75 प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित।
10. **CST:** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षो तक 1 प्रतिशत् CST प्रस्तावित।
11. **Payroll assistance for promoting greater employment generation :** उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि जिन उद्यमो मे Specified Threshold of direct employees से दोगुने कर्मचारी कार्यरत हो को रू0 500/– की सबसिडी आगामी 10 वर्षो तक प्रस्तावित। महिला कर्मचारियों हेतु रू0 700/– प्रति माह प्रति Specified direct employees प्रतिमाह की सबसिडी प्रस्तावित।

xii. इस नीति के जारी होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य मे टैक्स की Levy के लिये GST या किसी भी अन्य इसी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित कोई कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम मे समायोजित किया जायेगा।